इस्पात का आयात

592. **श्री पंढरीनाथ सीतारामजी पाटिल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश मे इस्पात की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस कमी की पूर्ती के हेतु विदेशों से इस्पात मगाने के लिए प्रयत्न किये है; और

(ग) यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†[**Import of Steel**

592. SHRI P. S. PATIL : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the shortage of steel is increasing day by day in the country;

(b) whether Government have made efforts to import steel from foreign countries to meet the shortage; and

(c) if so, the details thereof ?]

इस्पात और खान मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नही ।

(ख) और (ग) माध्यम अभिकरण 1973-74 मे लगभग 10 लाख टन इस्पात का आयात करने का प्रबन्ध कर रहे है ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUKHDEV PRASAD) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Arrangements are being made by the canalising agencies to import about one million tonnes of steel during 1973-74.

† [ ]English translation.

विद्युत् उत्पादन के लिए ब्रिटेन का सहयोग

593. **श्री पंढरीनाथ सीतारामजी पाटिल :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बिजली के उत्पादन मे सहयोग देने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत की है; और

(ख) यदि हा, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†[**British collaboration for power generation**

593. SHRI P S PATIL : will the Minister of HEAVY INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have negotiated with the British Government for its collaboration in power generation in the country ; and

(b) if so, the result thereof ?]

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिध्देश्वर प्रसाद) : (क) जी नही ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.]

Community-wise Employees

594. SHRI IBRAHIM KALANIYA :
SHRI Y. M. MAKWANA :

Will the Minister of SUPPLY be pleased to state :

(a) the number of Gazetted, Class III and IV employees of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and minority community (category and classwise) in the department;